OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY ORDERS

Delhi, the 5th August, 2011

F. No. 10 (2019)/COS(HQ)/Cons. Duty/15319.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Varun Beverages (International) Ltd., F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110 020, shall pay a consolidated stamp duty of ₹25,00,000 (Rupees twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹1,24,99,80,000 for issue of Compulsorily Convertible debentures bearing distinctive No. 1 to 1249980 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (2027)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./
15326.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री
बुडेनहेम इण्डिया प्रा. लि., 507-508 डीएलएफ टावर-ए, जसोला डिस्ट्रीक
सेन्टर, नई दिल्ली-110 025 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,10,05,000
मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 3100500 है, पर लगने
वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 31,005 (रुपये इक्कतीस हजार पांच) केवल के
समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

E No. 10(2027)/COS(HQ)/Cons. Duty/15326.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Budenheim India Pvt. Ltd., 507-508, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 31,005 (Ruppes thirty one thousand five) only on the aggregate value of shares of ₹ 3,10,05,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 3100500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (2028)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./
15327.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री ईकोओ इण्डिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., 547 मंदािकिनि
एन्कलेव, अलकनन्दा, नई दिल्ली-110 016 द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 5,13,50,009 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1390126
से 1437068 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 51,351 (रुपये इक्कयावन
हजार तीन सौ इक्कयावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान
उक्त कम्पनी करेगी।

E. No. 10 (2028)/COS(HQ)/Cons. Duty/15327.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. EKO India Financial Services Pvt. Ltd., 547, Mandakani Enclave, Alaknanda, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 51,351 (Ruppes fifty one thousand three hundred fifty one) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,13,50,009 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1390126 to 1437068 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (2031)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./
15328.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री
ईकेओ इण्डिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., 547 मंदाकिनि एन्कलेव,
अलकनन्दा, नई दिल्ली-110 016 द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 24,86,62,848 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1437069
से 1907468 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,48,663 (रुपये दो
लाख अड़तालीस हजार छ: सौ तिरेसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क
का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2031)/COS(HQ)/Cons. Duty/15328.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. EKO India Financial Services Pvt. Ltd., 547, Mandakani Enclave, Alaknanda, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,48,663 (Rupees two lakh forty eight thousand six hundred sixty three) only on the aggregate value of shares of ₹ 24,86,62,848 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1437069 to 1907468 to be issued by the said company.

दिल्ली, 8 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (2030)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15526.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मिले
इण्डिया प्रा. लि., भू-तल, स्यूट नं. 1 से 5, कोपिया, कमिशयल
प्लॉट नं. 9, जसोला, नई दिल्ली-110025 द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 3,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी मृथक संख्या 39968900
से 43468900 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 35,000 (रुपये
पैतीस हजार) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी
करेगी।

Delhi, the 8th August, 2011

F. No. 10 (2030)/COS/(HQ/Cons. Duty/15526.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Miele India Pvt. Ltd., Ground Floor, Suite No. 1 to 5, Copia, Commercial Plot No. 9, Jasola, New Delhi-110025 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 35, 000 (Rupees thirty five thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 3, 50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 39968900 to 43468900 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2029)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15527.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के

मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वोलर्ट इण्डिया प्रा. लि., 1211, चिरंजीव टावर, 43, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली—110019, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,10,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1100000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 11,000 (रुपये ग्यारह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2029)/COS/(HQ/Cons. Duty/15527.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vollert India Pvt. Ltd., 1211, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 11,000 (Rupees eleven thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,10,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 1100000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 9 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (2033)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./15592.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जिन्दल
इण्डिया थर्मल पावर लि., प्लॉट नं.-12, सेक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग
सेन्टर, वसन्त कुंज, नई दिल्ली—110070, द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 10,80,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 518444051
से 518552050 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,080 (रुपये एक
हजार अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त
कम्पनी करेगी।

Delhi, the 9th August, 2011

F. No. 10 (2033)/COS/(HQ/Cons. Duty/15592.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jindal India Thermal Power Ltd., Plot No. 12, Sector-B-1, Local Shopping Centre, Vasant Kunj, New Delhi-110070 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,080 (Rupees one thousand eighty) only on the aggregate value of shares of ₹ 10, 80, 000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 518444051 to 518552050 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2020)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./15593.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 (अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शाक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जिन्दल
इण्डिया थर्मल पावर लि., प्लॉट नं.-12, सेक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग
सेन्टर, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070, द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 11,50,30,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
506941051 से 518444050 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2020)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15593.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jindal India Thermal Power Ltd., Plot No. 12, Sector-B-1, Local Shopping Centre, Vasant Kunj, New Delhi-110070 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,15,030 (Rupees one lakh fifteen thousand thirty) only on the aggregate value of shares of ₹ 11, 50, 30,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 506941051 to 518444050 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2021)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./15637.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 (अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री पुरअर्थ इन्फास्ट्रक्चर लि. छठी मॉजल, विक्रान्त टावर 4,
राजेन्द्र प्लेस , नई दिल्ली—110048, द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 3,96,25,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
107800001 से 108592500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क
₹ 39,625 (रुपये उन्चालीस हजार छ: सौ पच्चीस) केवल के
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2021)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15637.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Purearth Infrastructure Ltd. Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of ₹39,625 (Rupees thirty nine thousand six hundred twenty

five) only on the aggregate value of shares of ₹3,9625,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 107800001 to 108592500 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1981)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./15640.—
गृह मंत्रात्त्य, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 (अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्त्यों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री अर्टसना इण्डिया प्रा. लि., ए-10, ग्रीन पार्क, नई
दिल्ली—110016, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 6,73,00,000 मूल्य
के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1271701 से 1339000 है, पर
लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 67,300 (रुपये सङ्सठ हजार तीन सौ)
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1981)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15640.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Artsana India Pvt. Ltd., A-10, Green Park, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 67,300 (Rupees sixty seven thousand three hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 6, 73, 00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1271701 to 1339000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 10 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (2018)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./15662.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एलएमए
फाउण्डेशन, दूसरी मॉजल, 21-22, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्कलेव
नई दिल्ली—110029, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य
के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10000 है, पर लगने
वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक
शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 10th August, 2011

F. No. 10 (2018)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15662.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. LMA Foundation, 2nd Floor, 21-22, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1, 00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2023')/मु, स. (मुख्या.)/स. शु,/15663.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बोम्बर्डियर
एयरोस्पेस इण्डिया प्रा. लि., C/o परफेक्ट एकाउन्टींग एण्ड शेयर्ड
सर्विसेज प्रा. लि., ई-20, पहली और दूसरी मंजिल, हौज खास, नई
दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,74,99,780 मूल्य के इक्विटी
शेयरों जिनकी पृथक संख्या 250001 से 288043 है, पर लगने वाले
मुद्रांक शुल्क ₹ 17,500 (रुपये सत्रह हजार पाँच सौ) केवल के
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2023)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15663.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bombardier Aerospace, India Pvt. Ltd. C/o Perfect Acounting & Shared Services Pvt. Ltd., E-20, 1st & 2nd Floor, Hauz Khas, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 17,500 (Rupees seventeen thousand five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,74,99,780 for equity shares certificates with distinctive Nos. 250001 to 288043 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2013)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./15664.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बेलमे
फ्रोगरेन्सेज इण्डिया प्रा. लि. दूसरी मंजिल, 21-22, कृष्णा नगर,
सफदरजंग एन्कलेव नई दिल्ली—110029 द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 5,80,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से
68000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 580 (रुपये पाँच सौ
अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी
करेगी।

F. No. 10 (2013)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15664.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-30852 section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Belmay Fragrances India Pvt. Ltd., 2nd Floor, 21-22, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 580 (Rupees five hundred eighty) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,80,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10001 to 68000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (2000)/मु.स.(मुख्या.)/स. शु./15665.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, का.आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री इण्डोरामा इण्डस्ट्रीज लि., 401, विक्रान्त टावर, चौथी
मॉजल, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 4,45,05,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
18777771 से 19519520 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क
₹ 44,505 (रुपये चव्वालीस हजार पाँच सौ पाँच) केवल के समेकित
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2000)/COS(HQ)/Cons.Duty/15665.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 4th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Indorama Industries Ltd., 401, Vikrant Tower, 4th Floor, Rajendra Place, New Delhi- 110008 shall pay a consolidated stamp duty of ₹44,505 (Rupees forty four thousand five hundred five) only on the aggregate value of shares of ₹4,45, 05,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 18777771 to 19519520 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (2011) मु.स. (मुख्या.) स. शु. /15666. — गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्य नियंत्रक प्रधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रीजेन्सी टेक्सट्रेड प्रा.लि., 5ए/19, असारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 90,63,600 मूल्य के इिक्टिटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 85531 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 9,064 (रुपये नौ हजार चौंसट) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2011)/COS(HQ)/Cons. Duty/15666.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Regency Textrade Pvt. Ltd., 5A/19, Ansari Raod, Darya Ganj, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 9,064 (Rupees nine thousand sixty four) only on the aggregate value of shares of ₹ 90,63,600 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10001 to 85531 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2022)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु,/15667.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री बर्टल्समान कॉरपोरेट सर्विसेज इण्डिया प्रा. लि., अंसल
लक्ष्मी दीप, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रीक सेन्टर, दिल्ली-110092 द्वारा जारी
किए जाने वाले ₹ 1,90,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी
पृथक संख्या 1 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 19,000
(रुपये उन्नीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान
उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2022)/COS(HQ)/Cons. Duty/15667.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bertelsmann Corporate Services India Pvt. Ltd., 208, Ansal's Laxmi Deep, Laxmi Nagar Distirct Centre, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 19,000 (Rupees nineteen thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,90,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 50000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2012)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15668.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जयश्री ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि., ए-40, मोहन कॉपरेटिव इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,93,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3096001 से 3289000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 19,300 (रुपये उन्नीस हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2012)/COS(HQ)/Cons. Duty/15668.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jaycee Automobiles Pvt. Ltd., A-40, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 19,300 (Rupees nineteen thousand three hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,93,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 3096001 to 3289000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2016)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15669.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री इण्डोरामा इण्डस्ट्रीज लि., 401, विक्रान्त टावर, चौथी
मंजिल, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 17,26,38,464 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
19519521 से 22216996 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,72,639
(रुपये एक लाख बहत्तर हजार छ: सौ उन्तालीस) केवल के समेकित
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2016)/COS(HQ)/Cons. Duty/15669.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indorama Industries Ltd., 401, Vikrant Tower, 4th Floor, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,72,639 (Rupees one lakh seventy two thousand six hundred thirty nine) only on the aggregate value of shares of ₹ 17,26,38,464 for equity shares certificates with distinctive Nos. 19519521 to 22216996 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(1969)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15670.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिनर्जीक्स हाइड्रो (इण्डिया) प्रा. लि., जे-20, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 44,31,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 404211 से 847310 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,431(रुपये चार हजार चार सौ इकत्तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1969)/COS(HQ)/Cons. Duty/15670.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Synergics Hydro (India) Pvt. Ltd., J-20, Sarita Vihar, New Delhi-110076 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 4,431 (Rupees four thousand four hundred thirty one) only on the aggregate value of shares of ₹ 44,31,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 404211 to 847310 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2026)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15671.— गृह मंत्रालयं, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री तेइसी ओन्चो इण्डिया प्रा. लि., स्यूट नं. जी-8, ए-30, कैलाश कॉलोनी, ई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 7,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या N-2500001 to N-10000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 75,000 (रुपये पच्चहत्तर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2026)/COS(HQ)/Cons. Duty/15671.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Taisei Oncho India Pvt. Ltd., Suit No. G-8, A-30, Kailash Colony, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹75,000 (Rupees seventy five thousand) only on the aggregate value of shares of ₹7,50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. N-2500001 to N-10000000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2025)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु,/15672.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बोर्गेस इण्डिया प्रा.लि., ए-10, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,76,20,000 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2706811 से 6468810 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 37,620 (रुपये सैंतीस हजार

छ: सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2025)/COS(HQ)/Cons. Duty/15672.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Borges India Pvt. Ltd., A-10, Green Park, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 37,620 (Rupees thirty seven thousand six hundred twenty) only on the aggregate value of shares of ₹ 3,76,20,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 2706811 to 6468810 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2032)/मु.स. (मुख्या.)/स. शु./15673.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कन्वोथर्म इण्डिया प्रा. लि., बी-66, ओखला, फोज-1, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 99,99,994 मूल्य के इिक्टी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 405136 से 1003937 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,000 (रुपये दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10 (2032)/COS(HQ)/Cons. Duty/15673.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Convotherm India Pvt. Ltd., B-66, Okhla, Phase-1, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,000 (Rupees ten thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 99,99,994 for equity shares certificates with distinctive Nos. 405136 to 1003937 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority, Government of National Capital Territory of Delhi

R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)